न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर पीलीबंगा

पीठासीन अधिकारी :– अवि गर्ग आरएएस

राजस्व वाद संख्या :– 230/2019

1. गुरजन्ट सिंह पुत्र हरविन्द्र सिंह
2. मनीन्द्र सिंह पुत्र जोगेन्द्र सिंह

जाति जटसिख साकिन 2 बी.आर.पी. ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।

—– वादीगण

–:: बनाम ::–

1. हरविन्द्र सिंह पुत्र मिठूसिंह जाति जटसिख साकिन चक 2 बी.आर.पी. ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
2. किरणजीत कौर पुत्री हरविन्द्रसिंह पत्नि हरगोविन्द सिंह जाति जटसिख साकिन लखूवाली तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।
3. कमलदीप कौर पुत्री हरविन्द्रसिंह
4. सुखप्रीत कौर पत्नि हरविन्द्रसिंह
5. जोगेन्द्रसिंह पुत्र मिठूसिंह
6. देवेन्द्रसिंह पुत्र जोगेन्द्रसिंह
7. मनप्रीत कौर पत्नि जोगेन्द्रसिंह

(क्र. 3 से 7) जाति जटसिख साकिन 2 बी.आर.पी. ढाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान।

8. जरिये शाखा प्रवन्धक एच.डी.एफ. सी बैंक शाखा पीलीबंगा तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।
9. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़, राजस्थान।

—– प्रतिवादीगण

<u>दावा अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. बाबत घोषणा एवं विभाजन</u>

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता —वादीगण
2. श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता —– प्रतिवादीगण

–:: निर्णय ::– दिनांक :– 13.08.2019

वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, 53 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण का स्थाई पता वाद पत्र के शीर्षक के व्यवहार सहिंता के आदेश 6 नियम 14 ए के अनुसार सही अंकित किया गया है।

वादीगण हिन्दू(सिख) परिवार के सदस्य है जो मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ से शासित होते है तथा परस्पर सहदायिक एवं सहअंशदायी है।

तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी.आर.पी. (आईजीएनपी) की मुताबिक जमाबंदी सम्वत् 2073 से चालू का खाता संख्या 29/22 पत्थर नम्बर 13/353 मुरब्बा नम्बर 12 कि. न. 11 , 12, 13, 18, 19/1/.050 कुल 1.062 है. नहरी, अनकमाण्ड मय गै.मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 हरविन्द्रसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी रोग 4. कि वाके तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी आर पी (आई जी एन पी) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 3/4 प.न. 13/353 मु.न. 12 कि.न. 19/.203, 20, 22/.228, 23/.228 की 0.912 है. नहरी मय अ. क. मय गै. मु. रास्ता व प.न. 12/353 मु.न. 13 कि.न. 15/2/.101 , 16/2/.101 , 25/2/.051 की .253 है. नहरी मय गै. म. रास्ता की कुल 1.165 है. नहरी, अनकमाण्ड मय गैर मु. रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी न. 5 जोगेन्द्रसिंह के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति जमाबन्दी पेश है।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी आर पी (भाखरा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2073 से चालू का खाता सं. 63/57 प.न. 12/351 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 8/1/.101, 9.10 की कुल 3.896 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 हरविन्द्रसिंह के नाम जरिये ईन्तकाल न. 324 दिनांक 12.7.2016 के मुझ वादी न. 1 के दादा मिठूसिंह पुत्र बिशनसिंह से विरास्तन प्राप्त होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। जिसकी आय से दावा की दफा 3 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी न. 1 के नाम से अर्जित की गई है। जो भी मुझ वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 1 ता 4 की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के मुताबिक हिन्दू विधि वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 1 ता 4 ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के हकदार हैं। अवलोकनार्थ सत्य प्रति उक्त जमाबन्दी की पेश है।

तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी आर पी (भाखरा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2073 से चालू का खाता सं. 63/57 प.न. 13/351 मु.न. 33 कि.न. 1, 2, 9, 10, 11/2/.051, 12/2/.050 की 1.113 है. व प.न. 13/350 कि.न. 11/2/.177, 19 ता 22 की 1.366 है. नहरी मय रास्ता कृषि भूमि प्रतिवादी न. 5 के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड खातेदारी है। जो प्रतिवादी न. 5 जोगेन्द्रसिंह के नाम जरिये ईन्तकाल न. 3 24 दिनांक 1 2.7.2016 के मुझ वादी न. 2 के दादा मिठूसिंह पुत्र बिशनसिंह से विरास्तन प्राप्त होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। जिसकी आय से दावा की दफा 4 में वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी न. 5 के नाम से अर्जित की गई है। जो भी मुझ वादी न. 2 व प्रतिवादी न. 5 व 6 की पैतृक कृषि भूमि है। उक्त कृषि भूमि के मुताबिक हिन्दू विधि वादी न.2 व प्रतिवादी न. 5 व 6 ब. हिस्सा बराबर बराबर के मालिक व खातेदार होने की घोषणा पाने के हकदार हैं। अवलोकनार्थ सत्य प्रति उक्त जमाबन्दी की पेश है।

तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी आर पी (भाखरा) की मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2069 से चालू का खाता सं. 61/55 प.न. 12/350 मु.न. 25 कि.न. 1 ता 12, की कुल 3.036 है. नहरी मय गै. मु. खाला, रास्ता खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी न. 5 जोगेन्द्रसिंह के नाम जरिये ईन्तकाल न. 325 दिनांक 12.7.2016 के मुझ वादी न. 2 के दादा मिठूसिंह पुत्र बिशनसिंह से विरास्तन प्राप्त होकर दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हुई है। जो भी मुझ वादी न. 2 व प्रतिवादी न. 5 व 6 की पैतक कृषि भूमि है। जिसकी आय से भी प्रतिवादी न. 5 के नाम से दावा की दफा 4 में वर्णित कषि भूमि ली गई है। अवलोकनार्थ सत्य प्रति उक्त जमाबन्दी की पेश है।

वादीगण व प्रतिवादीगण का सजरा खानदान निम्न प्रकार से है।

हरविन्द्रसिंह पुत्र मिठूसिंह वल्द बिशनसिंह

सुखपीतकौर	गुरजन्टसिंह	किरणजीतकौर	कमलदीपकौर
पत्नि	पुत्र	पुत्री	पुत्री

जोगेन्द्रसिंह पुत्र मिठूसिंह वल्द बिशनसिंह

मनप्रीतकौर	देवेन्द्रसिंह	मनीन्द्रसिंह
पत्नि	पुत्र	पुत्र

उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

प्रतिवादी न. 2 ता 4 ने उक्त कृषि भूमि में से अपना हक व हिस्सा लेना नहीं चाहा है। जिसे उन्होने स्वैच्छा से वादी न. 1 व प्रतिवादी न. 1 के पक्ष में दे दिया है। एंव प्रतिवादी न. 4 को प्रतिवादी न. 1 की पत्नि होने से व प्रतिवादी न. 7 को प्रतिवादी न. 5 की पत्नि होने से दावा में पक्षकार बनाया गया है ताकि दावा में नुकस ना रहे । वादीगण व प्रतिवादीगण ने काफी समय से कृषि भूमि अच्छी मन्दी व रास्ता खाला की सुविधा के साथ घरू बंटवारा किया हुआ है। जिसके अनुसार निम्न प्रकार से वादीगण व प्रतिवादीगण को

Scanned by CamScanner

कृषि भूमि के मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर व अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी आर पी (आई जी एन पी) के प.न. 13/353 के मु. न. 12 कि.न. 11 ,12, 13, 18, 19/1/.050 की 1.062 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता व प.न. 13/353 कि.न. 19/203, 20 की कुल 1.518 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा व वादी न. 2 व प्रतिवादी न. 6 यानि मनीन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पि. जोगेन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर जाति जटसिख साकिन चक 2 बी.आर.पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे ।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी.आर.पी. (भाखरा) का प.न. 12/351 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 8/2/.101, 9, 10 की कुल 1.366 है. नाली प्रथम मय गै. मु. रास्ता का वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 2 बी आर पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

वादीगण ने पहले भी प्रतिवादीगण से कई बार कहा कि वादीगण के उक्त दावा की दफा 2 ता 9 में वर्णित अनुसार कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में वादीगण के नाम दर्ज करवा कर देखें तो प्रतिवादीगण वादीगण की बात मानने से कई दिनों तक मटोल करते रहे आखिर कार प्रतिवादीगण आज से 7 रोज पूर्व वादीगण की बात मानने बिलकुल ही ईन्कार हो गये यही वाद कारण है।

प्रतिवादी न. 8 का उक्त कृषि भूमि के खाता में नाम दर्ज होने से व प्रतिवादी संख्या 9 को भू–धारक होने से दावा में पक्षकार बनाया है ताकि दावा में नुकस ना रहे।

दावा श्री मान जी के न्यायलय के क्षेत्राधिकार का है जो अन्दर मियाद व उचित कोर्ट फीस पर दो प्रतियों में पेश है।

अतः वाद वादीगण पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर दावा बहक वादीगण व खिलाफ प्रतिवादीगण के निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावेः–

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी आर पी (आई जी एन पी) के प.न. 13/353 के मु. न. 12 कि.न. 11 ,12, 13, 18, 19/1/.050 की 1.062 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता व प.न. 13/353 कि.न. 19/203, 20 की कुल 1.518 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा व वादी न. 2 व प्रतिवादी न. 6 यानि मनीन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पि. जोगेन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर जाति जटसिख साकिन चक 2 बी.आर.पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे ।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी.आर.पी. (भाखरा) का प.न. 12/351 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 8/2/.101, 9, 10 की कुल 1.366 है. नाली प्रथम मय गै. मु. रास्ता का वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 2 बी आर पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

(ग). वादीगण को प्रतिवादीगण से खर्चा मुकदमा दिलाया जावे।

(घ). अन्य कोई अनुतोष जो वादीगण के पक्ष में हो जारी फरमाया जावे ।

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलैक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया वादी एवम् प्रतिवादी के मध्य लोक अदालत की भावना से आपसी राजीनामा होनें के कारण दिनांक 08.07.2019 को उपस्थित होकर राजीनामा प्रस्तुत किया जिसको वादी एवम् प्रतिवादी द्वारा पढ़नें समझने के बाद हस्ताक्षर किये वादी की पहचान श्री जसपाल सिंह दहिया अधिवक्ता तथा प्रतिवादी की पहचान श्री मदनगोपाल मेहरड़ा अधिवक्ता द्वारा किये जानें पर राजीनामा तस्दीक किया गया।

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामा में कथन किया गया कि उपरोक्त अनवान सदर के प्रकरण में दोनों पक्ष एक ही परिवार के सदस्यगण है दोनो पक्षों द्वारा पूर्व में किये गये पारिवारिक समझौते अनुसार व परिवार के प्रमुख रिश्तेदारों के प्रोत्साहन से परस्पर मुकदमेबाजी नहीं होनें देने के लिये स्वेच्छा पूर्ण राजीनामा कर लिया है, जो निम्न प्रकार से है :–

(क). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी आर पी (आई जी एन पी) के प.न. 13/353 के मु.न. 12 कि.न. 11 ,12, 13, 18, 19/1/.050 की 1.062 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता व प.न. 13/353 कि.न. 19/203, 20 की कुल 1.518 है. नहरी, अनकमाण्ड मय रास्ता खातेदारी कृषि भूमि में से वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा व वादी न. 2 व प्रतिवादी न. 6 यानि मनीन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पि. जोगेन्द्रसिंह को 1/2 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर बराबर जाति जटसिख साकिन चक 2 बी.आर.पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे ।

(ख). तहसील पीलीबंगा का चक 2 बी.आर.पी. (भाखरा) का प.न. 12/351 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 8/2/.101, 9, 10 की कुल 1.366 है. नाली प्रथम मय गै. मु. रास्ता का वादी न. 1 गुरजन्टसिंह पुत्र हरविन्द्रसिंह जाति जटसिख साकिन चक 2 बी आर पी ढ़ाणी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान को मालिक व खातेदार होने की घोषणा की जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अलग खाता में दर्ज कर रकम राज अलग कायम की जावे।

यदि वादीगण प्रथम पक्ष का दावा डिक्री किया जाता है तो मिन प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष को कोई आपति व एतराज नही होगा। वादीगण प्रथम पक्ष व प्रतिवादीगण द्वितीय पक्ष में उक्त राजीनामा अपने पूर्ण होश हवास व सहमति से बिना किसी दवाव व वहकाव के लिखवा दिया है।

उभयपक्ष द्वारा राजीनामा के समर्थन में शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि वादपत्र में वर्णित भूमि का अन्य किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं है, भूमि पैतृक है, राजीनामा के अनुसार हम पक्षकारान मौके पर कब्जा काश्त है। भूमि से सम्बंधित समस्त पक्षकारान को पक्षकार बनाया गया है।

प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य राजीनामा होनें पर किसी प्रकार का प्रतिवादी नहीं होनें के कारण प्रकरण में तनकीयात कायम नहीं होनें से उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई दौरानें बहस विद्वान अधिवक्तागणों नें वाद एवम् राजीनामा में दिये गये कथनों को दोहराते हुए वाद का निर्णय कर डिक्री जारी करनें हेतु निवेदन किया।

इस सम्बंध में आर.आर.डी. 1981 पेज 512 आर.टी.ए. की धारा 40–53, 38–39–40, आर.आर.डी. 1966 पेज 71 ए.आई.आर. 1976 (एससी) पेज 807 व 178 आर. आर.डी. पेज 219 आर.आर.डी. 1975–478, ए.आई.आर.1966 (एस.सी.) 432 आर.आर.डी. 1975 पेज 489 की नजीर प्रस्तुत करते हुए आर.टी.ए. की धारा 53 की भी व्याख्या करते हुए कथन किया कि आपसी समझौते या अदालत के आदेशानुसार बंटवारा किया जा सकता है।

राजस्थान काश्तकारी (बोर्ड आफ रेवेन्यू) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6 एवम् आदेश 23 नियम 3 सीपीसी में समझौता के आधार पर वाद डिक्री किया जा सकता है। राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के पत्रांक प.5(1)राज/6/97/10 दिनांक 08.09.1997 के अनुसार सह कृषकों में जोत के विभाजन की सहमती हो जाये तो ऐसी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर पीलीबंगा

Scanned by CamScanner

सहमती के आधार पर डिक्री की जा सकती है। हिन्दु उत्तराधिकार विधि के अनुसार पुत्र को अपनें पिता की पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार है। इसलिये पुत्र अपनें पिता की पैतृक सम्पति में पिता के जीवनकाल में ही जोत का विभाजन करवा सकता है।

ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 807 के अनुसार यदि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के अनुरूप हिस्सा प्रदान न किया गया हो या किसी का हिस्सा कम ज्यादा हो तो भी माननीय उच्चतम न्यायालय नें पारिवारिक समझौते को अधिक मान्यता दी है। पारिवारिक समझौता धोखाधड़ी या किसी के प्रभाव में न हो तो उस पारिवारिक समझौता को मान्यता दी जा सकती है। जिससे वाद कम हो, पारिवारिक समझौता पक्षकारान द्वारा न्यायालय में उपरिथत होकर प्रस्तुत किया गया हो।

हमने वादीगण एवम् प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायायिक दृष्टान्त का सम्मान अध्यन्न किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि वाद में वर्णित भूमि प्रतिवादीगण की पैतृक खातेदारी भूमि है। जो जद्दी जायदाद होनें के कारण उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार लोक अदालत की भावना से वाद वादीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

–:: आदेश ::–

वादीगण एवम् प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन करनें तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन के बाद वादीगण एवम् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत किये गये राजीनामा के अनुसार वाद पत्र को स्वीकार किया जाकर डिक्री जारी की जाती है, कि उभयपक्ष के मध्य हुए राजीनामा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 53 के अन्तर्गत वाद में वर्णित तहसील पीलीबंगा के चक 2 बी आर पी (आई जी एन पी) के प.न. 13/353 के मु.न. 12 कि.न. 11 ,12, 13, 18, 19/1/.050 की 1.062 हैक्टर व प.न. 13/353 कि.न. 19/203, 20 की कुल 1.518 हैक्टर भूमि में से वादी संख्या 1 गुरजन्टसिंह को 1/2 हिस्सा तथा वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 6 (मनीन्द्रसिंह–देवेन्द्रसिंह) को 1/2 हिस्सा ब. हिस्सा बराबर का खातेदार तथा चक 2 बी.आर.पी. (भाखरा) का प.न. 12/351 मु.न. 32 कि.न. 1 ता 3, 8/2/.101, 9, 10 की कुल 1.366 हैक्टर भूमि में वादी संख्या 1 गुरजन्टसिंह को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर रकम राज अलग कायम की जाती है।

आदेशानुसार डिक्री जारी हो। तहसीलदार (राजस्व) पीलीबंगा को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि के सम्बंध में निम्न बिन्दुओं की पूर्ण जांच कर उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे :–

1. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बध में वर्तमान में किसी अन्य न्यायालय में कोई वाद/स्थगन तो विचाराधीन नहीं है।
2. वाद पत्र में वर्णित भूमि के सम्बंध में किसी भी प्रकार का कोई बकाया ना हो भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त हो।
3. वाद पत्र में वर्णित भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16, विशेष आवंटन/सीलिग अधिनियम से प्रभावित न हो।
4. वाद में वर्णित भूमि गैर खातेदार/रकबा राज ना हो
5. वाद पत्र में वर्णित भूमि पर उभयपक्ष के कब्जा सम्बंधी पूर्ण जांच करें।
6. वाद पत्र में वर्णित भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक **13.08.2019** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अवि गर्ग)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलेक्टर
पीलीबंगा

Scanned by CamScanner